



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14, अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या-734-अधि०प्रब०-03/पाकालि/2021-3(292)ई०एम०-03/2010

दिनांक: 10 मार्च, 2021

कार्यालय ज्ञाप

श्री अवनि कुमार श्रीवास्तव (अभिज्ञान सं०-2010292, सम्प्रेक्षा सं०-ए-1215), प्रोन्नत सहायक अभियन्ता को, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में अंगीकृत परिषदादेश संख्या 4065-जी/राविप-एक-230ए/66 दिनांक 23.06.1978, सपठित परिषदादेश संख्या-198-पी/पी एण्ड एफपी-29-राविप-8-पी एण्ड एफपी/87 दिनांक 26.08.1988 एवं संख्या-1604-काविनी/राविप-29-99-9-काविनी/87 दिनांक 30.12.1999 में निहित प्राविधानानुसार, लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा) के पत्र दिनांक 08.03.2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर, उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तिथि 30.11.2020 को अवकाश खाते में जमा कुल 300 (तीन सौ) दिनों के उपार्जित अवकाश के नकदीकरण की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

अपर सचिव-द्वितीय

संख्या: 734(1)-अधि०प्रब०-03/पाकालि/2021-तददिनांक :

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2- मुख्य अभियन्ता (ऊर्जा प्रणाली परिचालन), एस०एल०डी०सी० परिसर, उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि०, विभूति खण्ड-11, गोमती नगर, लखनऊ-226010
- 3- उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन।
- 4- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार को पत्र सं०-1348/उ०म०प्र०/पंचम-राज०/ए-1215, दिनांक 08.03.2021 के सन्दर्भ में इस आशय से प्रेषित कि कृत कार्यवाही से कारपोरेशन मुख्यालय को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- 5- अधिशासी अभियन्ता (आर०ए०यू०), कार्यालय-मुख्य अभियन्ता (ऊर्जा प्रणाली परिचालन), एस०एल०डी०सी० परिसर, उ०प्र०पा०ट्रां०का०लि०, विभूति खण्ड-11, गोमती नगर, लखनऊ-226010
- 6- श्री अवनि कुमार श्रीवास्तव (2010292), सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, प्लॉट नं०-115, खसरा नं०-211, अर्जुन एन्क्लेव, गुडम्बा, लखनऊ-226026 को इस आशय से भी प्रेषित कि कृपया अपनी पेंशन/ग्रेज्युटी सहित अन्य सेवानिवृत्तिक देयों के सम्बन्ध में वांछित प्रपत्र सम्बन्धित इकाई को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


(हिमांशु वाष्णीय)
उप सचिव (अ०प्र०-03)

प्रति:- कट फाइल/कारपोरेशन की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।